पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0नं0 – 223/2025

रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

<u>डिक्री</u> दिनांक 13/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निस्तारण/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है प्रतिवादीया सं0 1 कलावती के नाम से चक नं० 1 बी.आर डबल्यू के प0न0 236/309 मु० 25 किलानं0 4/2/.126, 5/1/.095 है0 दक्षिण दिशा, प०न० 237/308 मु० 20 किलानं0 8/2/.227, 8/3/.013 है0, 9/.253, 10/.253 है0 आरजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 1 बी.आर डबल्यू के खाता सं0 28/25 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर वादी का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर रकमराज अलग किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।